आचार संहिता

आचार संहिता

1. परिचय

1.1 **इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (आई.एम.सी. या कंपनी)** एक ऐसी कंपनी है जिसे कंपनी एक्ट, 1956 के तहत शुरू किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय श्री गुरुनानक देव भवन, नजदीक भारत नगर चौक, लुधियाना, पंजाब में स्थित है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को सीधे तौर पर आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयां, हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर से संबंधित उत्पाद और पशुपालन तथा कृषि से संबंधित उत्पाद उपलब्ध करवाती है।

1.2 यह आचार संहिता आई.एम.सी. एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा हैं और सारे बिजनेस एसोसियेट्स को कंपनी के आचार संहिता का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। साथ ही उनके डाउनलाइन्स को भी इसी वचनबद्धता के साथ मार्केटिंग नेटवर्क तैयार करना चाहिए। इन आचार संहिताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है जैसा कि एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म में बताया गया है और इन आचार संहिताओं के नियमों का उल्लंघन करने वाले एसोसियेट्स से सम्बन्धों की समाप्ती की जा सकती है और बोनस, अन्य अधिकारों तथा हितों को भी जब्त किया जा सकता है।

1.3 आई. एम. सी. के पास आचार संहिता, आई. एम. सी. एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म, बिजनेस प्लान और सारे ऑफिशियल बिजनेस लिटरेचर में किसी भी समय संशोधन करने, बदलने या उसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। इसकी सूचना आई.एम.सी. की ऑफिशियल वेबसाइट (www.imcbusiness.com) पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभी बिजनेस एसोसियेट्स को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर होने वाले अपडेट्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहें।

2. आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट के तौर पर

2.1 **योग्यता के मानक**–अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी समझौते को क्रियान्वित करने के योग्य हो और जो कभी भी कानूनी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, वह बिना किसी निवेश के आई.एम.सी. का बिजनेस एसोसियेट बन सकता है। वह किसी भी प्रकार के शुल्क की अदायगी किए बिना आई.एम.सी. का बिजनेस एसोसियेट (प्रत्यक्ष विक्रेता) बन सकता है। बिजनेस को ज्वॉइन करने के लिए किसी भी उत्पाद को खरीदने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है।

2.2 **प्रायोजन या स्पोंसरशिप** : आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट बनने के लिए किसी भी आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसे किसी वर्तमान आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट द्वारा प्रायोजित या स्पोंसर किया जाए और ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय सही जानकारी दी जाये। किसी नए जुड़ने वाले बिजनेस एसोसियेट के लिए यह जरूरी है कि वह सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र, स्थायी खाता नंबर की फोटो कॉपी, पास पोर्ट साइज फोटोग्राफ और कैंसल चैक वेबसाइट पर ऑनलाइन संलग्न करें। कोई भी आवेदक जो उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है उसे एक अधिमान्य (प्रफर्ड) ग्राहक माना जाएगा। अधिमान्य ग्राहक के रूपमें वह रियायती मूल्य पर प्रॉडक्ट्स खरीदने में सक्षम होगा, परन्तु अन्य एसोसियेट को स्पोंसर नहीं कर पाएगा या नाही कोई कमीशन पाने में सक्षम होगा। ऐसा करने के लिए ग्राहक को उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और अपने स्थान को आई.एम.सी. एसोसियेट में परिवर्तित करना होगा। अगर बिजनेस एसोसियेट द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है तो आई.एम.सी. को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के बिजनेस एसोसियेट को निलंबित या अपने साथ उनकी संबद्धता को पूरी तरह से समाप्त करदे।

2.3 **लॉगइन पोर्टल और एसोसियेट आई.डी. का एक्टिवेशन** : आई.एम.सी. अपने सभी एसोसियेट्स को एक यूनीक एसोसियेट आई.डी. जारी करेगी और वही उस बिजनेस एसोसियेट की पहचान के रूप में काम करेगी और आई.एम.सी. के अंतर्गत हर तरह का व्यावसायिक कामकाज इसी एसोसियेट आई.डी के माध्यम से किया जायेगा।

2.3.1 आई.एम.सी. का बिजनेस एसोसियेट बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और उसके बाद ओ.टी.पी. वेरिफिकेशन जांच करवा कर कंपनी का बिजनेस एसोसियेट बन सकता है। ध्यान रहे, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीकरण संभव है।

2.3.2 अगर कोई बिजनेस एसोसियेट ओ.टी.पी. के साथ अपने मोबाइल नंबर को तुरंत वेरिफाई नहीं करा सकता तो उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद, चौबीस घंटे के अंदर ऐसा करना आवश्यक होगा अन्यथा उसकी एसोसियेट आई.डी. स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वेब पोर्टल को लॉगइन करके अपने मोबाइल फोन को वेरिफाई कराए बिना कोई भी बिजनेस एसोसियेट, किसी और को ना तो स्पोंसर या प्रायोजित कर सकता है और ना ही कंपनी से कुछ खरीद सकता है।

2.3.3 एक बार मोबाइल नंबर के वेरिफाई हो जाने के बाद वह बिजनेस एसोसियेट आई.एम.सी. वेबसाइट पर अपना वेब प्रोफाइल लॉगइन कर सकता है। एसोसियेट के लिए अपना प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है जिसके लिए उसे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पास बुक, कैंसल्ड चेक और साथ ही आई.डी. प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट मतदाता पहचान पत्र की सेल्फ अटेस्टड कॉपी अपने लॉगिन पोर्टल प्रोफाइल में अपलोड करनी होगी। अगर आई.एम.सी. ज्वाइन करते समय बिजनेस एसोसियेट की किसी भी अन्य स्रोत से या किसी अन्य बिजनेस से टर्नओवर बीस लाख से ज्यादा है तो उसे जी.एस.टी.एन भी पेश करना होगा। अगर

बिजनेस एसोसियेट ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को अपने पोर्टल में अपडेट नहीं करता तो आई.एम.सी. उसके पेआउट्स को आसानी से जारी नहीं कर पाएगा।

2.4 व्यक्ति के अलावा अन्य आवेदनकर्ता : एच.यू.एफ, पार्टनरशिप फर्म, एल.एल.पी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट आदि भी आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट बन सकते हैं जिसके लिए उन्हें आई.एम.सी. का कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म और एसोसिएशन फॉर्म भरना होगा।

2.4.1 अगर आवेदनकर्ता कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसे अपने बोर्ड द्वारा संकल्प पारित करके एक अथॉरिटेटिव रिप्रजेंटेटिव रखना होगा क्योंकि आई.एम.सी. किसी कंपनी के अथॉरिटेटिव रिप्रजेंटेटिव के साथ ही डील करता है।

2.4.2 आवेदनकर्ता संस्थान को अपने संविधान/पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और साथ ही ज्वाइनिंग फॉर्म और कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म भी जमा कराना होगा। एच.यू.एफ. की स्थिति में आवेदनकर्ता के केवल पैन कार्ड की कॉपी आवश्यक होगी।

2.4.3 पेआउट्स के रूप में, आई.एम.सी. द्वारा जनरेट आमदन संस्था के नाम पर होगी और उसे किसे अधिकृत व्यक्ति के ऑफिशियल बैंक अकाउंट पर ही ट्रांसफर किया जायेगा।

2.4.4 अगर संविधान/एम.ओ.ए/ए.ओ.ए आदि में किसी भी तरह का बदलाव किया जाता है तो आई.एम.सी. को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा, जिसके लिए एक नया कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म/एप्लीकेशन फॉर्म संशोधित संविधान एम.ओ.ए/ए.ओ.ए. की फोटोकॉपी आई.एम.सी. में जमा करवानी होगी। नये या संशोधित संविधान के साथ पेश किए गए आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आई.एम.सी. के पास सुरक्षित होगा।

2.4.5 अगर व्यवसायिक संगठन समाप्त हो जाए, तो आई.एम.सी. बकाया धनराशि का भुगतान कंपनी के ए.आर या एच.यू.एफ. के कर्ता या उस साझेदार को करेगा जो डीड ऑफ डिजॉल्यूशन के मुताबिक इस प्रकार के पेमेंट को स्वीकार करने के लिए अधिकृत हो। ऐसे व्यक्ति को अपने दावे की पुष्टि के लिए जरूरी कागजात प्रस्तुत करने होंगे। इसी प्रकार इस तरह के डिजॉल्यूशन की स्थिति में आई.एम.सी. का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऊपर उल्लिखित व्यक्ति में निहित होगा लेकिन उसे कंपनी के शेयर धारक, एच.यू.एफ. के सदस्यों या पार्टनर से नो–ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर पेश करना होगा।

2.5 **आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार** : आई.एम.सी. का बिजनेस एसोसियेट बनने के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी को होगा और ऐसा करने के लिए किसी भी प्रकार की सफाई देने की बाध्यता नहीं होगी।

2.6 **दिशा निर्देश (ओरिएंटेशन सेशन) सत्र** : नए आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट की स्थिति में, सीधी बिक्री व्यवसाय, पारिश्रमिक प्रणाली या व्यवस्था और अपेक्षित पारिश्रमिक के सभी पहलुओं को समझने के लिए आवेदन कर्ता को ओरिएंटेशन सत्र में शामिल होना जरूरी है।

2.7 **निषेधित गतिविधियां** :

2.7.1 आई.एम.सी. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश 2016 (डायरेक्ट सेलिंग गाइड लाइंस 2016) का पालन करता है और साथ ही अपने बिजनेस एसोसियेट्स को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए कोई ज्वाइनिंग फीस, आवश्यक खरीद की शर्त या उत्पाद का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने जैसी कोई शर्त नहीं होती। नए आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट बनने, आई.एम.सी. या उसके किसी पहले से ही काम कर रहे बिजनेस एसोसियेट से किसी तरह का सहयोग लेने के लिए किसी नए आवेदन कर्ता को या वर्तमान आई.एम.सी. एसोसियेट को निम्नलिखित प्रकार की किसी भी शर्त को मानने की बाध्यता नहीं होगी:

a. जुड़ने के लिए कोई फीस देना, किसी खास संख्या या मात्रा में उत्पादों को खरीदना।

b. कम–से–कम विशेष वस्तु सूची को मेन्टेन रखना।

c. बिक्री बोनस या रैंक वृद्धि के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में वस्तुओं की खरीद।

d. एसोसियेट चैनल में इन्वेंटरी लोडिंग को बढ़ावा देना।

e. प्रमोशनल टेप्स, लिट्रेचर, ऑडियो विजुअल सामग्री या दूसरी सामग्री या प्रोग्राम्स खरीदना।

f. सेमिनार्स में भाग लेना या शामिल होना या अन्य मीटिंग्स में शामिल होने के लिए टिकट् खरीदना।

2.7.2 केन्द्र सरकार के इन नियमों या दिशा निर्देशों के अलावा आई.एम.सी. अपने खुद के आचार संहिता का भी पालन करता है, जिनका अनुपालन करना सभी बिजनेस एसोसियेट्स का दायित्व है।

a. किसी बिजनेस एसोसियेट की आई.डी. पर उसका कोई मित्र, सगे संबंधी या कोई अन्य एसोसियेट व्यवसाय नहीं कर सकता है।

b. कोई बिजनेस एसोसियेट जिसका कंपनी में अपनी सक्रिय एसोसियेट आई. डी. है वह अपने खुद के या अपने किसी निकटतम संबंधी के नाम पर फिर से किसी अन्य एसोसियेट के साथ नहीं जुड़ सकता है।

c. बिजनेस एसोसियेट्स के लिए यह आवश्यक है कि वे आई.एम.सी. उत्पादों को आई.एम.सी. के अधिकृत आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से ही खरीदें, साथ ही इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि एसोसियेट्स क्रॉस ग्रुप सेलिंग या अन्य ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हों।

d. बिजनेस एसोसियेट्स के लिए आई.एम.सी. के उत्पाद आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से अपना एसोसियेट आई.डी. दिखाकर खरीदना आवश्यक होगा। हर एक खरीदारी का बिल भी लेना होगा और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में एसोसियेट को किसी प्रकार का इंसेंटिव, बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा।

e. किसी भी उत्पाद पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर कोई भी बिजनेस एसोसियेट आई.एम.सी. के उत्पादों को नहीं बेच सकता। इसके अलावा वह कोई प्रमोशनल ऑफर या डिस्काउंट की भी पेशकश नहीं कर सकता जब तक कि आई.एम.सी. खुद ऐसी घोषणा न करें। यदि कोई बिजनेस एसोसियेट, जो उत्पाद के एम आर पी से 10% की छूट से अधिक की छूट देता पाया जाात है तो उसे लूटी गई की मत माना जाएगा। कंपनी के पास यह अधिकार है कि वह कंपनी के आचारसंहिता के अनुसार उस बिजनेस एसोसियेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें और उसकी बिजनेस एसोसियेटशिप को समाप्त करने के साथ–साथ उचित कार्यवाही भी करे।

f. आई.एम.सी. से पूर्व लिखित सहमति के बिना बिजनेस एसोसियेट किसी भीई–कॉमर्सप्लाटफार्म, वेबसाइट, एप्प इत्यादि के इस्तेमाल से आई.एम.सी उत्पादों को बेचेगा या खरीदेगा नहीं।

g. आई.एम.सी. अपने बिजनेस एसोसियेट्स में भी निवेश करती है जिसके अन्तर्गत विविध प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों, मोटिवेशनल सेमिनार या प्रेरक कार्यक्रमों, टीम बिल्डिंग, नेतृत्व कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाता है, इसलिए अपने या किसी रिश्तेदार के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी के साथ जुड़कर कोई और व्यापार करने की बिलकुल मनाही है। इस करार को तोड़ने पर बिजनेस एसोसियेट को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जो महज एसोसियेट आई. डी. की समाप्ति या कमीशन/इंसेंटिव रोकने तक ही सीमित नहीं होगी।

h. नई सूचनाओं या प्रमोशन गतिविधियों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए यह बिजनेस एसोसियेट की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ऑनलाईन लॉगइन पोर्टल को चेक/मेंटेन करता रहे। कोई भी बिजनेस एसोसियेट अपना लॉगइन आई.डी. या पासवर्ड का किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करे। अगर कोई बिजनेस एसोसियेट अपना लॉगइन आईडी या पासवर्ड खोता है या उसकी गोपनीय सूचनाओं का दुरुपयोग होता है तो इसके लिए आई.एम.सी. कतई जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह एसोसियेट का है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि समय–समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें।

I. आई.एम.सी. एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराना चाहती है, जिसमें समान विचार वाले लोग आपस में जुड़ सकें और अपने ज्ञान और अनुभव जो उनके निजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों उसे आपस में साझा कर सकें। इसलिए सभी बिजनेस एसोसियेट्स से आग्रह है कि वे किसी राजनैतिक या धार्मिक मुद्दे पर बहस नहीं करें। साथ ही ऐसे विषयों पर बहस को बढ़ावा नहीं दें जिसके कारण आई.एम.सी. के सदस्यों या बिजनेस एसोसियेट्स के अंदर अस्वस्थ भावनाएं पैदा हों।

j. आई.एम.सी. के आंतरिक व्यवस्थागत माहौल के संरक्षण के लिए आई.एम.सी. ऐसे किसी एसोसियेट को बर्दाश्त नहीं करेगी जो किसी गैरकानूनी गतिविधियों

में शामिल हो। साथ ही ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आई.एम.सी. की नीतियों या केन्द्र, राज्य या स्थानीय नियमों के खिलाफ हो।

k. आई.एम.सी. की पूर्व अनुमति से कोई भी एसोसियेट आई.एम.सी. के उत्पादों की कैनोपी या स्टॉल लगाकर या किसी स्थान पर प्रदर्शनी के जरिए बेच सकता है। इस तरह की गतिविधि के लिए किसी संबंधित सरकारी विभाग या अधिकारी से अनुमति लेने की जिम्मेदारी एसोसियेट की होगी।

l. अगर कोई आई.एम.सी. एसोसियेट मेडिकल चेकअप या दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने के लिए कोई आयुर्वेदिक कैंप लगाना चाहता है तो योग्य या प्रमाणित डॉक्टर की अनुमति/उपस्थिति आवश्यक होगी। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी उस बिजनेस एसोसियेट की होगी। साथ ही उस उचित अधिकारी से पूर्व अनुमति भी लेनी होगी।

m. आई.एम.सी. यह मानती है कि उससे जुड़े लोगों को एक स्वस्थ माहौल प्राप्त हो। इसलिए आई.एम.सी. अपने एसोसियेट से यह आग्रह करती है कि वे देश के एक सामाजिक और सुसंस्कृत नागरिक के रूप में व्यवहार करें। आई.एम.सी. के किसी भी एसोसियेट, कर्मचारी, ग्राहक या उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ किसी भी एसोसियेट को बुरा व्यवहार करने की बिल्कुल इजाजत नहीं हैं।

n. कंपनी की किसी मीटिंग या सेमिनार के दौरान धूम्रपान करने, शराब का सेवन, पान, पान मसाला या गुटखा चबाने की जरा भी अनुमति नहीं होगी। किसी एसोसियेट या उनके किसी अतिथि द्वारा इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में उसकी एसोसियेट आई.डी. समाप्त कर दी जाएगी।

2.8 वास्तविक सदस्यता, कुछ रिश्तों का निष्कासन या समाप्ति

2.8.1 किसी एसोसियेट की पत्नी को स्वाभाविक तौर पर सह–आवेदक (को–अप्लीकांट) के तौर पर आई.एम.सी. की सदस्यता प्राप्त हो सकती है। लेकिन सभी तरह के इंसेंटिव्स या लाभ पति या पत्नी में से उसके अकाउंट में जमा होगा जो सदस्यता के लिए प्राथमिक होगा। पति–पत्नी के बीच दुर्भाग्यपूर्ण तलाक की स्थिति में एसोसियेट आई.डी. के लाभ का बंटवारा दोनों के बीच की आपसी सहमति के आधार पर होगा या इस सम्बन्ध में अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके लिए यह जरूरी है कि वह एसोसियेट तलाक सम्बन्धी निर्णय के कागजात की प्रतियां आई.एम.सी. को पेश करे और एक लिखित आवेदन पत्र भी दे।

2.8.2 आई.एम.सी. बिजनेस टीम से जुड़ा हुआ कोई एसोसियेट अपने माता–पिता या बच्चों को आई.एम.सी. के किसी अन्य बिजनेस टीम का सदस्य नहीं बना सकता। हाँ, वे उस बिजनेस एसोसियेट वाली टीम में जुड़ सकते हैं।

2.8.3 भाई, बहन या शादीशुदा बेटी उस एसोसियेट के विस्तारित परिवार के सदस्य माने जाते हैं। ये लोग किसी भी अन्य बिजनेस टीम से जुड़ सकते हैं और बिजनेस के नियमों के मुताबिक काम कर सकते हैं।

2.8.4 कानूनी तौर पर अलग हो चुकी पत्नी, पति, पुत्र या पुत्री अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं जिसके लिए आई.एम.सी. की पूर्व सहमति जरूरी है।

2.8.5 अगर दो एसोसियेट्स आपस में विवाह कर लें–

a) पति और पत्नी अपनी पुरानी अलग आई.डी. पर अलग–अलग काम जारी रख सकते हैं।

b) अगर दोनों साथ काम करना चाहते हैं तो पति या पत्नी में से किसी एक को अपना एसोसियेट आई.डी. त्यागकर इस्तीफा देना होगा और फिर उनमें से आई.डी. त्यागने वाले को दूसरे की टीम में काम करने के लिए नामांकित किया जाएगा।

c) दो शादी–शुदा एसोसियेट पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और जिस आई.डी. को नहीं त्यागा गया है उस पर साथ में काम कर सकते हैं।

2.9 किसी एसोसियेट की विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में

2.9.1 किसी एसोसियेट की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसका बिजनेस उसके सह–आवेदक या नॉमिनी या अदालत द्वारा कानूनी तौर पर घोषित उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाएगा।

आचार संहिता

2.9.2 अगर कोई एसोसियेट जो रूबी लेवल को बरकरार रखे हुए है और जो कार फंड के योग्य हो, अगर दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह से या आंशिक तौर पर विकलांग (कोई दो .... या हाथ–पैर खो दे) हो जाए तो आई.एम.सी. उसके परिवार के सदस्यों को लीडरशिप बोनस पाने या साइड वॉल्युम्स (PGBV) बरकरार रखे बिना दूसरे इंसेंटिव्स हासिल करने का विशेषाधिकार देता है।

कृपया इस बात पर गौर किया जाए कि लीडरशिप बोनस और दूसरे इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए एसोसियेट आई.डी. न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो (जैसे उसके दो प्रत्यक्ष टीम एसोसियेट अलग–अलग श्रेणी क्रमों में सुपर स्टार के लिए क्वालिफाइड हों)।

2.9.3 यह नियम रूबी लेवल या उससे ऊपर के सभी एसोसियेट्स के साथ लागू होगा। हालांकि न्यूनतम योग्यता शर्त उस एसोसियेट द्वारा हासिल लेवल के मुताबिक होगी।

2.10 आई.एम.सी. बिजनेस से उपहार एवं पुरस्कार

अपने बिजनेस एसोसियेट्स को प्रेरित करने और उनके परिश्रम को सम्मानित करने के लिए आई.एम.सी. कई प्रकार के उपहारों आौर पुरस्कारों की घोषणा करती है। साथ ही आई.एम.सी. कुछ शर्तों और योग्यताओं की भी घोषणा करती है जो किसी बिजनेस एसोसियेट को इन पुरस्कारों या उपहारों के योग्य होने के लिए जरूरी है।

a) पुरस्कार या उपहार के लिए चुने गए बिजनेस एसोसियेट उसे छः महीने के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इस छः महीने की अवधि के बीत जाने पर आई.एम.सी. का कोई भी आउटलेट या केंद्र ऐसे दावों को स्वीकार नहीं करेगा।

b) कोई बिजनेस एसोसियेट जो किसी पुरस्कार/उपहार या टूर के लिए चुना गया है वह इन्हें किसी अन्य उपहार के साथ नहीं बदल सकता या उसके बदले नकद राशि भी नहीं ले सकता। योग्यता के आधार पर चुने गए बिजनेस एसोसियेट्स के लिए आई.एम.सी. समय–समय पर टूर यानि यात्रा लाभ भी उलपब्ध कराती रहती है लेकिन इस संदर्भ में चयनित एसोसियेट इसे किसी अन्य यात्रा लाभ या बदले में नकद राशि की मांग नहीं कर सकता है। विदेश यात्रा लाभ के मामले में अगर चयनित एसोसियेट के वीजा आवेदन को उस देश के दूतावास द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो आई.एम.सी. इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी और वह ना ही किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई वहन करेगी।

c) अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या अन्य एसोसियेट्स जो एकल एसोसियेट आईडी पर काम कर रहे हैं (जैसे किसी एसोसियेट का पति या पत्नी सह–आवेदक हो) तो केवल कोई एक ही एसोसियेट या साझेदार ही उपहार या टूर लाभ प्राप्त कर सकता है। जब तक आई.एम.सी. खुद अपनी ओर से किसी को विशेष अथॉरिटी न दे, वह सभी साझेदारों या सह–आवेदकों के दावों को स्वीकार नहीं करेगी।

d) सभी लेवलों के मौजूदा अचीवर्स और पिन होल्डर्स आई.एम.सी बिजनेस एसोसियेट्स नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में एक आई.डी कार्ड के साथ पिन प्राप्त करेंगे, जो पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी तीन महीनों में उस बिजनेस एसोसियेट द्वारा मैन्टेन्ड किए गए अधिकतम लेवल के आधार पर होगा।

e) सभी नए जुड़ने वाले अचीवर्स आई.एम.सी बिजनेस एसोसियेट्स को लगातार तीन महीने तक किसी विशेष लेवल को मैन्टेन करने के चौथे महीने आई.डी कार्ड और पिन प्राप्त होगा। जबकि वह अपने पेआउट को मासिक से प्राप्त लेवल के आधार पर ही प्राप्त करेंगे।

2.11 बिजनेस एसोसियेट्स की आमदनीः– आई.एम.सी. बिजनेसप्लान के लाभ किसी बिजनेस एसोसियेट द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास पर आधारित है, जो आई.एम.सी. उत्पादों की खरीद–बिक्री से सम्बंधित आई.एम.सी. व्यवसाय निर्माण से सम्बंधित है। जब तक कोई एसोसियेटस सक्रिय रूप से काम करता रहेगा तब तक उसके इस प्रकार के लाभ जारी रहेंगे। अगर कोई बिजनेस एसोसियेट लगातार 6 माह तक निष्क्रिय बना रहता है तब उसे मिलने वाले लाभ केवल रिटेल प्रॉफिट मार्जिन तक ही सीमित रहेंगे। हालांकि ऐसे बजनेस एसोसियेट को अपना बिजनेस टीम बनाने और अपने बिजनेस ग्रुप के प्रयासों से होने वाले लाभ को साझा करने का अधिकार नहीं होगा। आई.एम.सी. के साथ किसी बिजनेस एसोसियेट के जुड़ाव की अवधि के दौरान वह एसोसियेट सभी प्रकार की आमदनी प्राप्त करना शुरु कर सकता है जिस के लिए आई.एम.सी. उत्पादों की खरीद–बिक्री द्वारा आई. एम.सी. व्यवसाय निर्माण में सक्रिय भागीदारी होगी।

आचार संहिता

a) आई.एम.सी अपने बिजनेस एसोसियेट्स को आई.एम.सी व्यवसाय में सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, आई.एम.सी व्यवसाय में नए एसोसियेट्स को शामिल करना और खुदरा मार्जिन अर्जित करना आई.एम.सी की ओर से अपेक्षित नहीं है। बिजनेस एसोसियेट इस बात को जानते हैं उनके द्वारा बिक्रियों का लक्ष्य प्राप्त करना उचित तौर पर संभव है। यह लक्ष्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें वह स्वयं आसानी से कॉन्ज्यूम या रीसेल ना कर सकें। बिजनेस एसोसियेट प्रैफर्ड कस्टमर को प्रॉडक्ट्स बेच सकता है और/या वह अन्य ग्राहकों को बेचे गए प्रॉडक्ट्स और/या पर्सनली परचेज से पी.बी.वी बना सकता है।

b) आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट्स को सेल्स इंसेंटिव्स टी.डी.एस. (टैक्स ऐक्सोर्स) काट कर जारी करती है जो आयकर कानून और नियम के मुताबिक होता है। अगर कोई एसोसियेट आई.एम.सी. के पास अपना पैन नम्बर को जमा/लिंक/अपडेट नहीं करता तब कम्पनी 20 प्रतिशत टी.डी.एस. (या ऐसा उच्चतर प्रतिशत जो आयकर कानून और नियम में प्रस्तावित हो) काटकर इंसेंटिव जारी करेगी। जिन एसोसियेट आई.डी. पर 20 प्रतिशत टी.डी.एस. काटा गया हो उन्हें आई.एम.सी. से फार्म–16 ए नहीं दिया जायेगा। इसलिए सभी आई.एम.सी. एसोसियेट्स को सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र अपने पैन कार्ड का विस्तृत ब्यौरा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत/अपडेट या लिंक करें।

c) आई.एम.सी. अपने एसोसियेट्स द्वारा कमाए गए इंसेंटिव्स को उनके अपने–अपने बैंक अकाउंट्स में जमा कराती हैं। सेल्स इंसेंटिव्स पाने के लिए बैंक अकाउंट की विस्तृत जानकारी (बैंक का नाम, अकाउंट नम्बर, शाखा, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि) देना आवश्यक है। अगर कोई एसोसियेट इन जानकारियों को उपलब्ध नहीं कराता है तो उसका सेल्स इंसेंटिव्स उसकी आई.डी. के नाम पर रखा जाएगा जिसे दो वित्तीय वर्ष तक बरकरार रखा जाएगा, जिसके बाद कम्पनी उसे जब्त कर लेगी और एसोसियेट उसे पाने के लिए दावा नहीं कर सकेगा।

d) ई–वॉलेट : कोई भी बिजनेस एसोसियेट जो 2000/– रूपये से कम की राशि का कमीशन बनाता है तो उसे एसोसियेट के संबंधित खाते के ई–वॉलेट में जमा कर दिया जाएगा। उस जमा राशि को आई.एम.सी प्रॉडक्ट्स खरीदने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 2000/– से ऊपर की कमीशन को बिजनेस एसोसियेट के के.वाई.सी वेरीफाइड बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। बिजनेस एसोसियेट की के.वाई.सी अपूर्ण या वेरीफाइड ना करने की स्थिति में राशि को केवल आई.एम.सी प्रॉडक्ट की खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है।

यदि कोई बिजनेस एसोसियेट 2000/– रूपये से कम की राशि को अपने वॉलेट से निकालना या स्थानांतरण करना चाहता है तो के.वाई.सी वेरीफाइड के साथ ऐसे स्थानांतरण के लिए आई.एम.सी से लिखित अनुमति लेनी होगी।

3. आई.एम.सी. एसोसियेट्स की व्यावसायिक नैतिकता

3.1 आई.एम.सी. अपने बिजनेस एसोसियेट्स के लिए आई.डी. कार्ड जारी करती है और कोई भी एसोसियेट डाउनलोड कर अपने आई.डी. कार्ड का प्रिंट अपने ऑनलाइन लॉगइन पोर्टल से निकाल सकता है। जब कोई बिजनेस एसोसियेट किसी सम्भावित ग्राहक से मिलने का समय निर्धारित कर उसे मिलने जाए तो वह अपना आई.डी. कार्ड (पहचान पत्र) अवश्य लेकर जाए।

3.2 किसी बिक्री प्रस्तुतिकरण (सेल्स प्रेजेन्टेशन) की शुरुआत में, बिना आग्रह, एसोसियेट के लिए जरूरी है कि वह सच्चाई और स्पष्टता के साथ खुद को पहचाने। उसे अपनी कम्पनी, विक्रय (बेचने) वाली वस्तुओं और सेवाओं की पहचान होनी चाहिए। साथ ही उसे संभावित ग्राहक की दी गई सलाह के उद्देश्य का भी पता होना चाहिए।

3.3 कोई एसोसियेट वस्तुओं, सेवाओं, उनकी कीमतों, शर्तों, भुगतान की शर्तों, रिटर्न पोलिसी, गारन्टी, बिक्री बाद की सेवाओं आदि के बारे में संभावित ग्राहक को सटीक और पूर्ण जानकारी विस्तृत ब्यौरे और प्रदर्शनी के जरिए दे।

3.4 बिक्री के समय किसी एसोसियेट के लिए यह जरूरी है कि वह अपने उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराए, जैसे–

a) आई.एम.सी. सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के अलावा एसोसियेट अपना नाम, पता, पंजीकरण संख्या, नामांकन संख्या और पहचान–पत्र आदि की जानकारी दे।

b) सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी।

c) खरीद–बिक्री की प्रक्रिया पूर्ण होने के पहले एसोसियेट अपने ग्राहक को उत्पाद वापसी सम्बन्धी कम्पनी की पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताए।

d) यह भी बताना है कि ऑर्डर की तारीख, ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि बिल के साथ क्या और कितना है।

e) नमूनों की जाँच का स्थान और तारीख एवं माल की डिलीवरी।

f) ग्राहक द्वारा आर्डर को रद्द करने संबंधी अधिकार की जानकारी और बिक्री योग्य अवस्था में उत्पाद की वापसी और भुगतान की गई राशि की पूर्ण वापसी।

g) शिकायत निवारण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी।

h) प्रत्येक बिक्री के लिए चालान जारी करना।

3.5 उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक उचित बही–खाता एक बिजनेस एसोसियेट के पास होना चाहिए। इसमें उत्पाद के अलावा उसकी कीमत, उस पर लगने वाला कर, मात्रा और ऐसी दूसरी जानकारियां कानून द्वारा लागू नियम के अनुसार दी जानी चाहिए । किसी एसोसियेट के लिए यह जरूरी है कि वह सभी स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। सभी स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय करों एवं शुल्कों को चुकाना उसका दायित्व हैं।

3.6 एक एसोसियेट को नीचे लिखे कार्यों को नहीं करना चाहिएः–

a) भ्रामक, धोखेबाजी और अनुचित व्यापारिक गतिविधियां।

b) भ्रामक, झूठे, छलपूर्ण और अनुचित बहाली से संबंधित काम जैसे वास्तविक या संभावित बिक्री के संबंध में गलत जानकारी देना, किसी प्रत्यक्ष संभावित विक्रेता को डायरेक्ट सेलिंग संबंधित फायदे या आमदनी के मामले में गलत जानकारी।

c) एक संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व करना जिसे जांचा नहीं जा सकता या ऐसा वादा करना जिसे पूरा नहीं किया जा सकता।

d) किसी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री लाभ के संबंध में गलत या भ्रामक तरीके से बताना।

e) जानबूझकर प्रत्यक्ष–बिक्री के काम, पारिश्रमिक व्यवस्था या एसोसियेट द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के सम्बंध में आई.एम.सी. और प्रत्यक्ष विक्रेता/एसोसियेटक बीच होने वाले समझौते में ऐसी बातें जोड़ना, हटाना, शामिल करना, होने देना आदि जो गलत या भ्रामक हों।

f) किसी वर्तमान या सम्भावित डायरेक्ट विक्रेता या एसोसियेट को कोई भी साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री या बिक्रय उपकरणों को खरीदने के लिए विवश करना।

4. किसी बिजनेस एसोसियेट की सेवा समाप्ति, इस्तीफा, स्थानांतरण या उसके फिर से जुड़ने सम्बन्धी नियमः

4.1 इस्तीफाः कोई भी बिजनेस एसोसियेट किसी भी समय अपने दायित्वों को त्यागने के लिए इस्तीफा दे सकता है। लेकिन अगर वह फिर से व्यवसाय से जुड़ना चाहे तो वह इस्तीफे के छः महीने बाद फिर से जुड़ सकता है, लेकिन वह अपने पुराने एसोसियेट आईडी के अंतर्गत विकसित किए गये व्यापार, आमदनी या टीम को हासिल करने का दावा नहीं कर सकता है। इस छः महीने के दौरान वह एसोसियेट कंपनी के व्यवसाय में सक्रिय नहीं रहेगा या उसके लिए काम नहीं करेगा।

एक बिजनेस एसोसियेट के इस्तीफे की विशिष्ट शर्तेंः

4.1.1 यदि रूबी स्टार के स्तर तक के किसी भी एसोसियेट ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, तो उस एसोसियेट को 6 महीने की निष्क्रियता अवधि पूरा करना होगा और एसोसियेट 6 महीने की इस निष्क्रियता अवधि के बाद ही कंपनी को फिर से ज्वॉइन कर सकता है।

आचार संहिता

4.1.2 यदि रूबी स्टार के स्तर से ऊपर का कोई भी एसोसियेट कंपनी से इस्तीफा दे देता है तो ऐसी स्थिति में एसोसियेट को 1 वर्ष की निष्क्रियता अवधि पूरी करनी होगी और एसोसियेट कंपनी की 1 वर्ष की निष्क्रियता अवधि के बाद ही कंपनी को फिर से ज्वॉइन कर सकता है।

4.2 इस्तीफे की प्रक्रियाः

a) बिजनेस एसोसियेट को इस्तीफे का कारण बताते हुए उसे इस्तीफे का फार्म सही तरीके से भर कर कंपनी के समक्ष पेश करना होगा।

b) उसके इस्तीफे की तारीख से उसके एसोसियेट आईडी के जरिए/द्वारा जो भी इंसेटिव्स, कमीशन, उपहार और पुरस्कार प्राप्त हुए हो, उन पर अधिकार के लिए वह कोई दावा नहीं कर सकता।

c) त्यागपत्र देने वाले एसोसियेट के बोनस और बी.वी. उसकी अपलाइन द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और वापिस किये जाने वाले प्रॉडक्ट्स की कटौती अपलाइन से की जायेगी। लेकिन यदि बी.वी. का इस्तेमाल किसी भी लेवल के एसोसियेट या अपलाइन को अपग्रेड करने के लिये किया जाता था तो यह वैसा ही रहेगा।

d) इस्तीफा देने वाले एसोसियेट को वापस किये गये उत्पाद (अगर कोई हो तो) की कीमत पर एक चैक दिया जायेगा, जिसमें से वास्तविक खरीद पर मिला बोनस, शिपिंग कॉस्ट और 10 प्रतिशत हैड़लिंग चार्जेज या कंपनी द्वारा किया गया कोई अन्य खर्च काट लिया जायेगा। वह चेक एसोसियेट का फुल और फाइनल पेमेंट होगा।

e) यदि पति–पत्नी दोनों आचार संहिता के उल्लंघन में आई.एम.सी. बिजनेस संचालित कर रहें हैं(जाने–अनजाने में या जानबूझकर) और ऐसे अनाचार के प्रति आई. एम.सी. को कोई जानकारी नहीं है, तो किसी एक पति/पत्नी के आई.एम.सी. बिजनेस में हस्तीफा देने पर अन्य पति/पत्नी का भी हस्तीफा माना जाएगा।

4.3 कूलिंग ऑफ पीरियडः आई.एम.सी. अपने बिजनेस एसोसियेट का 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड उनके ज्वायनिंग की तारीख से मुहैया कराती है, जिसके दौरान प्रत्यक्ष विक्रेता बिना कोई दंड भरे कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर सकता है साथ ही इस अवधि के दौरान बाजारीय स्थितियों के तहत खरीदे गये बाजारीय उत्पाद पर अदा की गई कीमत की वापसी की भी मांग कर सकता है।

4.4 सेवा से निष्कासन या सेवा समाप्तिः यदि कोई भी एसोसियेट इस आचार संहिता और आवेदन पत्र में दिए गए नियमों और शर्तों में से किसी भी खंड का उल्लंघन करता है, तो आई.एम.सी तुरंत उस दोशी बिजनेस एसोसियेट की सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है और वह फिर से बिजनेस में शामिल नहीं हो सकता है। विशेष मामलों में, अगर उस एसोसियेट ने कोई भ्रामक गतिविधि नहीं की, तो उसे कंपनी के अपने अपलाइन क्राउन प्रेसिडेंट से माफी पत्र प्राप्त करना होगा, लेकिन माफी पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय कंपनी का होगा। ऐसी स्थिति में वह कंपनी में लिखित नोटिस के साथ, एक नई बिजनेस एसोसियेट आई.डी के साथ उसी टीम में शामिल हो सकता है, जिस टीम में कंपनी से इस्तीफा देने से पहले था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार टर्मीनेट हो जाने के बाद, एसोसियेट आई.एम.सी बिजनेस में दोबारा शामिल नहीं हो सकता।

4.5 व्यवसाय का हस्तांतरणः अगर कोई एसोसियेट किसी कारणवश अपने बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे पहले आई.एम.सी. से सहमति लेनी होगी। एसोसियेट सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को ही अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकता है। नियत कार्य के सम्बन्धित सभी दस्तावेज और बिजनेस एसोसियेट का सहमति पत्र कंपनी में जमा करवाना पडेगा। आई.एम.सी. बिजनेस के किसी भी ट्रांसफर का अधिकार सुरक्षित रखता है, कंपनी का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।

4.6 निष्क्रियता फिर से ज्वाइन करना या बिजनेस टीम में बदलावः अगर किसी एसोसियेट के पास सक्रिय एसोसियेट आई.डी. है और वह किसी अन्य व्यक्ति, एसोसियेट, इन्ट्रोड्यूज़र, प्रायोजक से जुड़ना चाहता है तो इस सन्दर्भ में निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

4.6.1 किसी सक्रिय सदस्य के एलओएस में बदलावः अगर कोई बिजनेस एसोसियेट अपनी बिजनेस टीम (लाइन ऑफ स्पोंसरशिप) में बदलाव चाहता है तो वह एक एसोसियेट के रूप में इस्तीफा देकर ऐसा कर सकता है और उसे अच्छी तरह से भरा हुआ एल.ओ.एस में बदलाव का फार्म जमा करना होगा जिसका कारण भी बताना होगा और छः महीने के लिए इनएक्टिव पीरियड भी बिताना होगा।

4.6.2 निष्क्रिय एसोसियेट :

a) यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में जुड़ता है और वह पिछले महीने की क्लोज़िंग के दिन से 6 महीने की अवधि के लिए किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को नहीं करता है, जैसे कि (1) किसी भी प्रॉडक्ट की खरीद और बिक्री) (2) किसी भी बिजनेस एसोसियेट का स्पोंसर, ऐसे एसोसियेटशिप को निष्क्रिय बिजनेस एसोसियेट्स के डेटाबेस में लेजाया जाएगा। आई.एम.सी. ऐसेबिजनेस एसोसियेट को व्यावसायिक गतिविधियों/प्रॉडक्ट लॉन्च के बारे में एस एम एस नहीं भेजेगी। हालांकि, एक बिजनेस एसोसियेट जिसने किसी अन्य एसोसियेट को स्पोंसर किया है और स्पोंसर एसोसियेट को बिक्री गतिविधियों में लगाया हुआ है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को निष्क्रिय एसोसियेट डेटाबेस में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

b) निष्क्रिय बिजनेस एसोसियेट किसी भी समय इस्ती फा दे सकता है और किसी अन्य बिजनेस एसोसियेट के तहत किसी भी समय फिर से जुड़ सकता है। ऐसा करने के लिए उसे 6 महीने के इन एक्टिविटी पीरियड नहीं बिताना होगा और उसकी एसोसियेटशिप को शून्य माना जाएगा।

c) कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो निष्क्रिय डेटाबेस में है, वह किसी भी समय आई.एम.सी. उत्पादों को खरीद सकता है जब तक कि उसकी एसोसियेटशिप मान्य नहीं होजाती और ऐसे खरीदारी करने पर उसकी एसोसियेटशिप सक्रिय एसोसियेट के डेटाबेस में चली जाएगी।

4.6.3 यदि कोई मौजूदा बिजनेस एसोसियेट अपनी टीम में शामिल होने के लिये किसी अन्य एसोसियेट को अपने नाम या किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर फिर से जॉइन करने के लिये बहकाता—फुसलाता है तो कंपनी उस री—ज्वॉइन करने वाले की नई एसोसियेट आई.डी. को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, और एसोसियेट द्वारा नई डाउनलाइन में बनाई गई पूरी टीम री—ज्वॉइन करने वाले की पुरानी एसोसियेट आई.डी. में डाउनलाइन के रूप में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

4.6.4 आई.एम.सी. उन सभी बिजनेस एसोसियेट को टर्मीनेट, सस्पेंड या किसी अन्य कारवाई को करने का अधिकार अपने पास रखती है जिन्होंने अन्य एसोसियेट को अपनी डाउनलाइन में दोबारा जुड़ने के लिये बहकाया—फुसलाया था। आई.एम.सी. बिक्री कमीशन को अंतिम निपटारे तक रोकने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखती है।

4.6.5 निष्क्रिय प्रैफर्ड कस्टमर: यदि कोई प्रैफर्ड प्रैफर्ड कस्टमर आई.एम.सी प्रॉडक्ट की अंतिम खरीद के दिन से 6 महीने की अवधि के लिए कोई भी खरीदारी नहीं करता है तो इस तरह के मुख्य ग्राहक को निष्क्रिय रूप में चिन्हित किया जाएगा। आई.एम.सी ऐसे प्रैफर्ड कस्टमर को व्यावसायिक गतिविधियों/उत्पाद लॉन्च/प्रोमोशनल ऑफर आदि के बारे में कोई संचार नहीं भेजेगी। इसके अलावा, आई.एम.सी किसी भी पूर्व सूचना/संकेत के बिना ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता के पंजीकरण को डिलीट करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।

5. उत्पाद वापसी की नीति :

आई.एम.सी. ऐसे उत्पादों की मार्केटिंग करती है जो अपनी गुणवत्ता, स्थिर गुणवत्ता का लेखा—जोखा और सुरक्षा मानकों के मामलों में बिलकुल ही त्रुटिहीन हैं साथ ही इस बात पर पूरा जोर होता है कि सबसे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद ही बाजार में उतारें जाएं। यदि फिर भी एसोसियेट को लगता है कि उन्हे कोई भी प्राडॅक्ट उनकी इच्छा के मुताबिक उत्तम गुणवत्ता वाला नहीं मिला एवम् प्राडॅक्ट के निर्माण या पैकिंग में कोई दोष है, तो वह वो प्राडॅक्टस की अदला—बदली या प्रॉडक्ट्स को वापिस कर सकता है। प्राडॅक्ट्स की वापसी के लिये एसोसियेट को अपने आउटलेट/डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी, जहां से उसने प्राडॅक्ट्स खरीदे हैं, खरीद की तिथि के 30 दिनों के अंदर—अंदर वापिस कर सकता है। प्राडॅक्ट्स को बदलने के लिये कोइ ठोस कारण होना चाहिये और उसके साथ असली बिल भी होना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह एसोसियेट की जिम्मेदारी है कि प्रॉडक्ट्स को वापिस करने से पहले वह प्रॉडक्ट्स की समाप्त अवधि चैक कर ले।

उत्पादों के साथ, उत्पादों को वापस करने के लिए दस्तावेजः वापसी का कारण बताते हुए उत्पाद वापसी का फॉर्म।

असली रसीद।

उत्पाद वापसी की यह प्रक्रिया बिजनेस एसोसियेट के जोखिम को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से है। साथ ही यह सभी बिजनेस एसोसियेट्स की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले अपनी जरूरत और अपने सर्कल की मांग के बारे में अच्छी तरह से आश्वस्त हो लें। यह सलाह दी जाती है कि कोई भी बिजनेस एसोसियेट उत्पादों की जमाखोरी न करें और प्रायोजक यानि स्पोंसर की यह जिम्मेदारी है कि वह उसकी टीम को खरीदारी संबंधी नैतिक नियमों के मामले में मार्गदर्शन दे। एसोसियेट्स को उतना ही उत्पाद

आचार संहिता

खरीदना चाहिए जिसका पचहत्तर प्रतिशत वह खुद बेच या इस्तेमाल कर सके और यदि बिजनेस एसोसियेट अपनी मांग या जरूरत के बारे में आश्वस्त नहीं है और बार–बार उत्पाद वापसी की प्रक्रिया शुरू करता है तो आई.एम.सी. को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे वापसी की मांग को अस्वीकार कर दे।

6. **आई.एम.सी. के बौद्धिक संपदा की रक्षाः** कंपनी ने आई.एम.सी. ब्रांड को खड़ा करने में अत्यधिक निवेश किया है और आज यह देश के हर शहर में एक जाना–माना नाम है। आई.एम.सी. अपने बौद्धिक संपदा संबंधी हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाती है। यह सभी बिजनेस एसोसियेट्स का दायित्व है कि वे आई.एम.सी. की बौद्धिक संपदा जैसे इसका ट्रेड मार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स की रक्षा के लिए काम करें। कोई भी बिजनेस एसोसियेट आई.एम.सी. की बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन न करें और अगर उसकी दृष्टि में कहीं भी ऐसा होता है तो वह आई.एम.सी. को इसके बारे में सूचित करें।

6.1 सारी छपाई सामग्री, लेबल्स, लोगो, स्लोगन्स इत्यादि आई.एम.सी. और संबद्ध कंपनियों की कॉपी राइट सामग्रियां हैं। किसी भी एसोसियेट या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह आई.एम.सी. या संबंधित कंपनियों की लिखित अनुमति के बिना इन कॉपी राइट्स की सामग्रियों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके।

6.2 कोई भी एसोसियेट इन उत्पादों की रीपैक या उसके लेबल, मार्क या लोगो आदि में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता।

7. **विज्ञापन और सोशल मीडिया :**

7.1 एसोसियेट आई.एम.सी. के बिजनेस और उत्पादों का विज्ञापन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर सकता है पर शर्त यह है कि एसोसियट के पास कंपनी के नाम, उसके ट्रेड मार्क और कॉपीराइट को इस्तेमाल करने की अनुमति लिखित रूप में हो।

7.2 यह सुनिश्चित करना बिजनेस एसोसियेट की जिम्मेदारी है कि कोई भी भ्रामक या गलत टेक्स्ट, तस्वीर या वीडियो आदि जो किसी व्यक्ति को आई.एम.सी. बिजनेस से जुड़ने या आई. एम. सी. उत्पादों को खरीदने के लिए आकर्षित करता हो, ऐसी सामग्रियों का विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल ना हो। ऐसे सभी विज्ञापन आई.एम.सी. के आधिकारिक लिट्रेचर के अवश्य ही अनुरूप हो।

7.3. आई.एम.सी. के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उसके नाम या लोगो का कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस्तेमाल करने पर ऐसे उल्लंघन करने वाले एसोसियेट्स के खिलाफ आचार संहिता के दंडात्मक नियमों के अनुसार कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी।

8. **प्रमुख और एजेंट जैसा कोई संबंध नहीं** : कोई भी बिजनेस एसोसियेट स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करेगा और किसी भी रूप में नियोजक और नियोक्ता या कोई श्रम संबंध आई.एम.सी. या उससे संबद्ध या अधीनस्थ कंपनी और बिजनेस एसोसियेट के बीच कंपनी के उत्पादक, दलाल, कमर्शियल एजेंट, कॉन्ट्रेक्टिंग रिपज़ेंटेटिव या अन्य रिप्रेजेंटेड जैसा कोई संबंध नहीं होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है किः

8.1 कोई भी बिजनेस एसोसियेट कंपनी यानि आई.एम.सी. के नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं खोले।

8.2 कोई भी बिजनेस एसोसियेट उत्पादों को क्रेडिट पर खरीद या बेच नहीं सकता है और अगर वह ऐसा करता है तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा और बैड डेट्स की इस स्थिति में आई.एम.सी. की इस नुकसान में किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

9. **छहपूर्ण व्यापारिक कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगाः** आई.एम.सी. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सच्चाई में विश्वास रखती है। इसलिए वह किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यापारिक काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे अनैतिक व्यापारिक काम निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं–

9.1 किसी अन्य एसोसियेट के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या उसका दुरुपयोग करने, टीम द्वारा की जाने वाली बिक्री को रोकने या टीम द्वारा की गई बिक्री का इस्तेमाल अपने निजी बिक्री के टारगेट को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाने के लिए किए जाने की मनाही है।

9.2 अगर कोई बिजनेस एसोसियेट किसी अन्य एसोसियेट से पेमेंट लेकर उसके बदले उत्पाद की सप्लाई में असफल रहता है या बेचे गए उत्पाद का बिल नहीं देता है या बेचे गए उत्पाद से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करता है तो आई.एम.सी ऐसे बिजनेस एसोसियेट के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई करेगी।

9.3. इस बात की बिलकुल इजाजत नहीं होगी कि किसी व्यक्ति को बिजनेस ग्रुप में शामिल करने के लिए किसी भी प्रकार की नकद राशि का प्रस्ताव किया जाए या उसे

कोई झूठा वादा किया जाए ।

9.4 इस बात की भी अनुमति नहीं होगी कि उत्पादों की बिक्री के लिए टीम पर दबाव डाला जाए या किसी अन्य एसोसियेट द्वारा की गई बिक्री का इस्तेमाल अपने टारगेट को पूरा किया हुआ दिखाने के लिए या ऐसा अपनी टीम के किसी अन्य एसोसियेट के मामले में करने के लिए किया जाए । कोई भी बिजनेस एसोसियेट किसी भी व्यक्ति को जानबूझ कर या अनजाने में अनावश्यक रूप से बहुत भारी मात्रा में आई.एम.सी उत्पादों को खरीदने की सलाह नहीं देगी।

9.5 अगर कोई भी एसोसियेट ऊपर दिए गए चार प्रतिबंधित गतिविधियों में से किसी में भी शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे गलत गतिविधियों के शिकार एसोसियेट को आई.एम.सी स्पोंसर को बदलने की मांग करने का अधिकार देती है ।

10. विविध यानी मिसलेनियस

10.1 इस बात का अधिकार सिर्फ कंपनी को होगा कि वह उत्पाद, उसकी कीमत और उत्पाद के व्यावसायिक स्तर या आकार, व्यापार की योजना और आचार संहिता में किसी भी समय पर बिना पूर्व सूचना के जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकें । ऐसे बदलाव के बारे में आई.एम.सी के सभी एसोसियेट्स को कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा । इस प्रकार के बदलाव से किसी भी एसोसियेट को होने वाले नुकसान के लिए आई.एम.सी. उत्तरदायी नहीं होगी।

10.2 किसी एसोसियेट के निष्कासन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आई.एम.सी. जिम्मेवार नहीं होगी। ऐसे नुकसान के लिए एसोसियेट ही पूरी तरह जिम्मेवार होगा।

10.3 किसी एसोसियेट की एसोसियेट आई.डी. की समाप्ति के बाद आई.एम.सी उसके सारे अधिकारों को खत्म कर देगी और उनकी टीम से होने वाली आमदनी को भी रोक देगी और उसकी टीम को उसके स्पोन्सर/अपलाइन के साथ जोड़ देगी।

10.4. एक आई.एम.सी. एसोसियेट जो 35प्रतिशत लेवल पर नहीं है उसके हस्तीफा देने की स्थिति पर उसकी पूरी बिजनेस टीम को उसके स्पोंसर के साथ जोड़ दिया जाएगा। यदि हस्तीफा देने वाला एसोसियेट 35 प्रतिशत लेवल से ऊपर के लेवल पर है तो पावर लैग को छोड़कर उसकी पूरी डाउनलाइन टीम को उसी बिजनेस टीम में मौजूद एक्टिव सिल्वर की बिजनेस टीम के साथ जोड़ दिया जाएगा।

11 आचार संहिता को कार्य में लाना

11.1 आचार संहिता का उल्लंघन एक बेहद गंभीर मामला है और यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसका किसी बिजनेस एसोसियेट के व्यापार पर बुरा असर होता है बल्कि इसका प्रभाव आम जनता मीडिया और सरकारी अधिकारियों की आई.एम.सी के प्रति सोच पर भी पड़ता है। आई.एम.सी., अपने एसोसियेट्स को अपनी व्यावसायिक टीमों में इन आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध करती है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर, बिजनेस एसोसियेट जो किसी अन्य बिजनेस एसोसियेट के आचार संहिता के उल्लंघन से दुखी है वह मैनेजमेंट में इसकी शिकायत कर सकता है और अनैतिक कार्यों जैसे दूसरे या अपनी बिजनेस टीम में जुड़ने के लिए किसी को बहकाना (लैग पुलिंग केस) इत्यादि की शिकायत कर सकता है। दुखित बिजनेस एसोसियेट, दोषी एसोसियेट के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों की शिकायत 2 वर्ष के भीतर कर सकता है। ध्यान रहे, 2 वर्ष की अवधि के बाद आई.एम.सी. ऐसी शिकायतों पर कोई विचार–विमर्श नहीं करेगी।

11.2 आई.एम.सी किसी भी उल्लंघन को सही करने के लिए मार्गदर्शन और सलाह के जरिये हर संभव प्रयास करेगी। आगे किसी गंभीर मामले में कारवाई की आवश्यकता हो सकती है लेकिन वह सिर्फ निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगा जो आई.एम.सी द्वारा किसी अन्य ऑर्डर या कॉम्बिनेशन के मामले में लागू हो सकता है:

a). रीओरिएंटेशन मीटिंग्स आयोजित करना और स्पोंसरशिप की टीम से खर्च वसूल करना।

b). नियम का उल्लंघन करने वाले बिजनेस एसोसियेट की निलंबन अवधि।

c). कंपनी द्वारा प्रायोजित ट्रिप्स स्थगित कर देना ।

d). प्रायोजन संबंधी गतिविधियों को आयोजित करने के अधिकारों का निलंबन या स्थगन।

e). व्यापार में प्राप्त होने वाले कमीशन, उच्च स्तर की पुरस्कार राशि या अन्य प्रकार की प्राप्त होने वाली राशि को रोक लेना ।

f). उल्लंघन करने वाले बिजनेस एसोसियेट को हमेशा के लिए निकाल देना ।

पावर लैग: वह बिजनेस एसोसियेट जिसके पास बिजनेस टीम में अधिक से अधिक जी.बी.वी. हैं।

एक्टिव सिल्वर: वह बिजनेस एसोसियेट जिसने सिल्वर स्टार लेवल प्राप्त किया है और लेवल को लगातार 3 महीने बनाए रखा है और जिसे तुरंत अपनी बिजनेस टीम में हस्तीफा देने वाले एसोसियेट के ऊपर रखा गया है।

11.3 आई.एम.सी अपने बिजनेस एसोसियेट को उचित सुधारात्मक कारवाई एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो निर्णय पत्र में उल्लिखित हो उसे लागू करने का अधिकार देगी। हालांकि समय सीमा की समाप्ति के पूर्व अगर उसका अनुसरण नहीं होता तो आई.एम.सी. स्वयं ही प्रत्यक्ष कारवाई करेगी। उल्लंघन करने वाले बिजनेस एसोसियेट को ऐसी कारवाई की सूचना उस एसोसियेट के पते पर पत्र द्वारा दी जाएगी।

12. आई.एम.सी बिजनेस एसोसियेट को हटाना या उसका स्पोंसरशिप खत्म करना :

1. पावर लैग: वह बिजनेस एसोसियेट जिसके पास बिजनेस टीम में अधिक से अधिक जी.बी.वी. हैं।
2. एक्टिव सिल्वर: वह बिजनेस एसोसियेट जिसने सिल्वर स्टार लेवल प्राप्त किया है और लेवल को लगातार 3 महीने बनाए रखा है और जिसे तुरंत अपनी बिजनेस टीम में हस्तीफा देने वाले एसोसियेट के ऊपर रखा गया है।

12.1 बिजनेस एसोसियेट को हटाए जाने का अर्थ है आई.एम.सी के साथ उस बिजनेस एसोसियेट के सभी संबंधों की समाप्ति उस तारीख से जब निष्कासन की सूचना जारी की गई हो और वह बिजनेस एसोसियेट शीघ्र ही अपने सारे अधिकार और हित लाभ जिनमें संबंधित आई.एम.सी. से व्यापार से प्राप्त बोनस भी शामिल होंगे उन्हें वह खो देगा ।

12.2 जब कोई आई.एम.सी. से बिजनेस समाप्त किया जाता है तो पहले आई.एम.सी. बिजनेस एसोसियेट अपने नेटवर्क में प्राप्त अपना स्थान खो देता है जिनमें उसका बोनस, रैंक और योग्यता आदि शामिल हैं।

12.3 आई.एम.सी. को यह अधिकार है कि वह आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन और व्यापारिक शर्तों की अवहेलना की स्थिति में वह अपने साथ किए गए समझौते को समाप्त कर दे ।

12.4 जिस किसी भी कारण से किसी बिजनेस एसोसियेट के अधिकारों की समाप्ति की स्थिति पर, बिजनेस एसोसियेट तत्काल प्रभाव से :

a) सारे ट्रेड मार्क्स , ट्रेड नेम्स, चिन्हों और दूसरे औद्योगिक संपत्तियों और आई.एम.सी व्यवसाय का इस्तेमाल करने से वंचित हो जाएगा, और

b) आई.एम.सी बिजनेस एसोसियेट के रूप में उसकी पहचान भी समाप्त हो जाएगी आई.एम.सी बिजनेस एसोसियेट को यह अधिकार होगा कि वह आई.एम.सी. के मैनेजिंग डायरेक्टर से उसे हटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह कर सके और इस बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा ।

राज्य कार्यालयों के पते

पश्चिम

आई.एम.सी ऑफिस – राजकोट (गुजरात)
1 फ्लोर, एसबीआई बिल्डिंग 2, जलाराम प्लॉट-2, यूनिवर्सिटी रोड, बी/एस मेट्रो रेस्ट, 360001, राजकोट, गुजरात 9824212183, br.rajkot@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – इंदौर (मध्य प्रदेश)
11/6 लोर्डस इन होटल के नीचे, साउथ तुकोगंज, एम.जी रोड, 452001, इंदौर, मध्य प्रदेश
9111818000, br.indore@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – रेवा (मध्य प्रदेश)
नज़दीक गीता ज्योति स्कूल कैम्पस, अशीर्वाद कॉम्प्लैक्स, उर्हत, रेवा, मध्य प्रदेश
9993819389, br.rewa@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – थाने (महाराष्ट्र)
रुम नं. 2055, अनुसाया कॉम्प्लैक्स, गणेश नगर, 421302, थाने, महाराष्ट्र
9146051909, br.thane@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – नागपुर (महाराष्ट्र)
प्लॉट नं. 3657 आर.वी सेलिब्रेशन हाल, कलामाना बस्ती, नज़दीक अफज़ल कोल्ड स्टोरेज, नाला कलामाना मार्केट रोड के पास, , 440026, नागपुर, महाराष्ट्र 9422828325, br.nagpur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – जोधपुर (राजस्थान)
ऑफिसर्स मेस्स के सामने, एयरफोर्स, नज़दीक पांच बत्ती सर्कल, रत्नाड़ा,342001, जोधपुर, राजस्थान
7791999991, br.jodhpur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – जयपुर (राजस्थान)
दुकान नं. 65,66,67-ए, प्लॉट नं 277, डी.सी.एम मुख्य अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान
6283369098, bojaipur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – सूरत (गुजरात)
दुकान नं. अप्पर गराउंड 44, अत्लंता शॉपिंग मॉल, क्रॉस रोड, आई.सी.आई.सी.आई बैंक, सूरत – 395009, गुजरात bosurat@imcbusiness.co.in

उत्तरपूर्व

आई.एम.सी ऑफिस – दीमापुर (नागालैंड)
मकान नं. 46 नज़दीक सेठी भवन, डी.एम.सी के पीछे, दीमापुर, नागालैंड
9436002877, br.dimapur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – गुवाहाटी (आसाम)
मकान नं. 74, एम.आर.डी रोड, नूनमती, न्यू गुवाहाटी, 781001, कमरूप मेट्रो, आसाम
9435516341, br.guwahati@imcbusiness.co.in

पूर्व

आई.एम.सी ऑफिस – पटना (बिहार)
616-ए, फ्लोर दाउद बिघा, नज़दीक हनुमान मंदिर, मुख्य रोड कंकरबाघ, 800026, पटना, बिहार
8873603622, br.patna@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – बैगुसराई (बिहार)
नज़दीक होटल कैप्सन, सुह्रद नगर बगाह वार्ड नं. 29, 851218, बैगुसराई, बिहार
9430400022, br.begusarai@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – रायपुर (बिहार)
बी एस अर्चाडे, नज़दीक शिवनाथ हुंडाई शोरूम, तटीबंध, 492001, रायपुर, बिहार
7000613641, br.raipur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – रांची (झारखंड)
संस्कृति कॉम्प्लैक्स इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ऊपर, 835222, रांची, झारखंड
9431176732, br.ranchi@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – खोरदा (ओडिशा)
प्लॉट नं. 3565 पलासुनी हटा पी.ओ. रसूलगढ़ कैनाल रोड एस.डी.एफ.सी बैक के पीछे,रसूलगढ़, 751010, खोरदा, ओरिशा 8541054488, br.bhubaneshwar@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
एच/80/801/395/1 वार्ड नं. 8, एस एफ रोड 734005, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
7908999322, br.siliguri@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
रुम नं. 2020, पीएस एविएटर, चिनार पार्क, 700157, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
9836045630, br.kolkata@imcbusiness.co.in

दक्षिण

आई.एम.सी ऑफिस – बीजापुर (कर्नाटक)
ऐश्वर्या नगर बस स्टॉप, बगलकोटकर कॉम्प्लैक्स, आश्रम रोड, 586103, बीजापुर, कर्नाटक
7204290774, br.bijapur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – हैदराबाद (कर्नाटक)
डी.नं 1, 269/61, श्रीनिवास नगर कोलॉनी, कपरा, इसीआईएल पोस्ट, रंगारेड्डी, 500062, हैदराबाद, कर्नाटक 9908790088, br.hyderabad@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – बैंगलौर (कर्नाटक)
नं. 25 7 क्रोस एम.उस रामयाह लेआउट, 80 फीट रोड, रेवेन्यू लेआउट, राधा कृष्ण लेआउट, 560022, बैगलोर, कर्नाटक Bangalore, Karnataka 18001371098, bobangalore@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – सेलम (तामिलनाडू)
बद्रीनाथ रोड, साउथ इस्ट लेआउट, फेयरलैंड्स, 636016, सलेम, तामिलनाडू
18001371098, bosalem@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – कोझिकोड (केरल)
डोर # 18/1581, बी सी, डी, डी1, वेनीस स्कवेयर बिल्डिंग, थाली रोड, पुधियापालम, कलीकट, 673002, कोझिकोड 9995460098, bokerala@imcbusiness.co.in

उत्तर

आई.एम.सी ऑफिस – झज्जर (हरियाणा)
सिविल अस्पताल रोड, नज़दीक सिंचाई भवन, 124103, झज्जर, हरियाणा
9741393699, br.jhajjar@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – जम्मू और कश्मीर
2 फ्लोर, 95 – ए इंडस्ट्रियल एरिया – ए, नज़दीक सुफियान चौक, 141001, लुधियाना, पंजाब
7837254154, br.punjab@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – गाज़ियाबाद (उत्तरप्रदेश)
1 फ्लोर, इज़ीडे स्टोर के ऊपर, जी-4, पटेल नगर 3, 201001, गाज़ियाबाद, उत्तरप्रदेश
8750840109, br.ghaziabad@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
जी-34-35, 1 फ्लोर, स्यान कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड, 226012, लखनऊ, उत्तरप्रदेश
9335162660, br.lucknow@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश)
मकान नं. 13, अम्बा पैलेस, नज़दीक पत्रिका मार्ग, सिविल लाइन्स, 211003, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
9415308995, br.allahabad@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
3140 एसक्यू एफटी 1 फ्लोर, बुद्ध विहार, पार्ट ए, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 273001
bogorakhpur@imcbusiness.co.in

आई.एम.सी ऑफिस – हरिद्वार (उत्तराखंड)
यूनिट-2, प्लॉट नं. 94 एन 1, सेक्टर-6ए, आईआईई सिडकुल, 249403, हरिद्वार, उत्तराखंड
9761810098, hdrsales@imcbusiness.com

आई.एम.सी ऑफिस – लुधियाना (पंजाब)
गुरु नानक देव भवन, नज़दीक भारत नगर चौंक, 141002, लुधियाना, पंजाब
18001371098, sales@imcbusiness.com

आई.एम.सी ऑफिस – दिल्ली
ऑफिसः आई-102, कीर्ति नगर, वेयरहाउसः कैलाश पार्क, सामने कीर्ति नगर, नई दिल्ली 110015
9988710098, bodelhi@imcbusiness.co.in

स्वस्थ ज़िंदगी

आई.एम.सी. हैड क्वार्टर्स
इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि., श्री गुरू नानक देव भवन, भारत नगर चौक, लुधियाना 141007
info@imcbusiness.com www.imcbusiness.com www.facebook.com/imcbusiness
Toll Free No. 980-984-3098